न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 375 सन 2015

अनवान :–

1. चेतराम पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 एनटीआर के प0न0 395/427(12) के किला न0 1/0.101 ,2/0.101 ,3/0.101 ,4/0.101 ,5/0.101 ,8 ता 10 की 0.759 हैक्ट प0न0 394/427(13) किला न0 5/0.076 ,6/0.228 ,कुल 1.631हैक्ट भूमि स्थित है जिसका 10 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त में होने के कारण खातेदार काश्तकार हो गया है।

रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 112/104 की कुल 1.631हैक्ट भूमि आदुराम पुत्र रामजस जाति जाट साकिन नेठराना को आवंटित की गई थी जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी के रूप में दर्ज हुई आदुराम ने उक्त गैरखातेदारी भूमि का बैयनामा मोतीराम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार को करवा दिया जो वादी का मामा था जिन्होने बाद में वादी के पक्ष में वसीयत करवा दी गई।

उक्त भूमि पूर्व में रोही मौजा चक 9 एनटीआर स्थित थी जो तहसील भादरा के क्षेत्राधिकार में आता है भाखडा प्रोजेक्ट ऐरिया का पुनः सर्वे होने पर उक्त भूमि जो रोही मौजा चक 9 एनटीआर में थी को रिफिटिग पंश्चात चक 12 एनटीआर जो तहसील नोहर के क्षेत्राधिकार में आता है में फिट किया गया अर्थात आदुराम को आवंटित भूमि चक 9 एनटीआर के स्थान पर चक 12 एनटीआर में परिर्वतन /पैमुद किया गया था।

आदुराम पुत्र रामजस को रोही मौजा चक 9 एनटीआर में भूमि आवंटित होने पर आदूराम ने तहसील भादरा में खाता खोला जाकर नियमानुसार राशि आदुराम के द्वारा जमा करवाई गई थी जो सैल रजिस्टर से प्रमाणित है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया हे वादी अपने हकों की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज तहसीलदार नोहर उपस्थित आया वादी के वाद के सम्बध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्स्तुत किया गया जो निम्नप्रकार से है :–

चेतराम पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा के प्रार्थना पत्र अनुसार चक 12 एन.टी.आर. के खाता सं. 180 के प.नं. 394/427 के कि.नं. 5 व 6 की 0.0380 हैक्टर तथा प.नं. 395/427 के कि.नं. 1/1,2/2,3/2,4/2,5/2,8,9 व 10 की 1.2640 हैक्टर कुल 1.6310 हैक्टर भूमि गैर खातेदार दर्ज है जिस पर प्रार्थी का कब्जा कास्त है तथा किसी न्यायालय का स्थगन/विवाद नही है।उक्त भूमि में से चक 9 एन.टी.आर तहसील भादरा में आदू वल्द रामजस जाति जाट साकिन निठराना को श्रीमान डी.सी. साहब के द्वारा मि.नं. 1600 दिनांक 31.08.1957

अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

को प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 11-12 की 2-00 बीघा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 14 व 15 की 2-00 बीघा कुल 4-00 बीघा भूमि आवंटन थी जिसकी समस्त किश्त राशि जमा हो चुकी है जिसका खाता तहसील भादरा के सैल पजिंका में दर्ज है, जिसकी प्रतिलिपि सलंग्न है तथा अनुसार संलग्न कन्सोलिडेसन (एकीकरण) में उक्त रकबा वर्तमान चक 12 एन.टी. आर. के के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 1 की 0-12 तथा कि.नं. 9-10 की 2-00 बीघा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 05 की 0-11 बिस्वा व कि.नं. 06 की 1-00 बीघा कुल 1-11 बीघा कुल 4-03बीघा भूमि तहसील नोहर में दर्ज हो गई है।जिसमें प्रार्थी के मामा के द्वारा मोतीराम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार साकिन जिगासरी छोटी तहसील भादरा ने उक्त भूमि को जरीये बैयनामा तिथि 22.10.1963 को खरीद लिया था जिसका नियमन राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13ए के तहत श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ. के आदेश कमांक वाचक/एडीएम/88/ 1589 - 90 दिनांक 28.03.93 से शमन फिस 6225/-रूपये जमा करवाने उक्त भूमि का नियमन कर दिया गया था जिस पर जमाबन्दी में प्रार्थी के मामा के नाम उक्त भूमि पटवार रिर्कोड मे दर्ज हो गई थी तथा वर्तमान मे जरीये वसीयत के उक्त रकबा प्रार्थी चेतराम के नाम दर्ज राजस्व रिर्कोड मे है। जिसका तहसील कार्यालय नोहर में चक 12 एनटीआर के सैल पजिंका में खाता नही है।

प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों तथा सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार(राजस्व) महोदय, भादरा से वर्तमान चक 12 एन.टी.आर. के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 1 की 0-12 तथा कि.नं. 9-10 की 2-00 बीघा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 05 की 0-11 बिस्वा व कि.नं. 06 की 1-00 बीघा कुल 1-11 बीघा कुल 4-03बीघा जो की पूर्व में चक 9 एन.टी.आर. था के सैल पजिंका का रकबा पूर्व में खातेदार था या नही की रिर्पोट तथा श्रीमान उक्त रकबा चक 9 एन.टी.आर. व वर्तमान मे 12 एन.टी.आर. की भूमि एक ही या नही की रिर्पोट इस कार्यालय के पत्रांक 1093 दिनांक 11.04.2022 से चाही गई थी जिसके कम में तहसीलदार महोदय, भादरा के पत्रांक 21 दिनांक 22.04.2022 से मुताबिक विकय पंजिका चक 9 एन.टी.आर. के खाता सं. 14/1 पर आदु वल्द रामजस जाति जाट साकिन नेठराना के नाम से बजरिए मिसल नं. 1600 दिनांक 31.08.1957 के द्वारा चक 9 एन.टी.आर. के प.नं. 395/427(17) के कि.नं. 11,12 तथा प.नं. 394/427 के कि.नं. 14,15 इस प्रकार कुल 4-00 बीघा सेण्डीलूम भूमि 200/-रूपये प्रति बीघा की दर से कुल 800/-रूपये मे विकय पजिंका मे खाता खुला हुआ है की रिर्पोट प्राप्त हुई है।

उक्त प्रार्थना पत्र मे अकिंत रकबे की हल्का पटवारी रामगढ. से रिर्पोट ली गई अनुसार हल्का पटवारी रामगढ की रिर्पोट दिनांक 30.03.2022 के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 12 एनटीआर के खाता सं. 180/179 मे चेतराम पुत्र भैराराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार साकिन नेठराना तहसील भादरा गैरखातेदार को प.नं. 394/427(13) के कि.नं. 5/1 की 0.025 हैक्टर रास्ता, 5/2 की 0.076 हैक्टर नहरी व 5/3 की 0.013 हैक्टर रास्ता कि.नं. 6/1 की 0.025 हैक्टर रास्ता व 6/2 की 0.228 हैक्टर नहरी तथा प.नं. 395/427(12) कि.नं. 1/1 की 0.101 हैक्टर नहरी व कि.नं. 2/2 की 0.101 हैक्टर नहरी, कि.नं. 3/2 की 0.101 हैक्टर नहरी, कि.नं. 4/2 की 0.101 हैक्टर नहरी, कि.नं. 5/2 की 0.101 हैक्टर नहरी व कि.नं. 8-9-10 की 0.759 हैक्टर नहरी कुल 1.631 हैक्टर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त रकबे पर रबी की फसल कास्त है । उक्त रकबे पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कोई विवाद व स्थगन आदि नही है।

अतः महोदय, निवेदन है उक्त भूमि चक 9 एन.टी.आर तहसील भादरा में आदू वल्द रामजस जाति जाट साकिन निठराना को श्रीमान डी.सी. साहब के द्वारा मि.नं. 1600 दिनांक 31.08. 1957 को प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 11-12 की 2-00 बीघा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 14 व 15 की 2-00 बीघा कुल 4-00 बीघा भूमि आवंटन थी जिसका खाता तहसील भादरा के सैल पजिंका में दर्ज है, जिसकी प्रतिलिपि सलंग्न है तथा कन्सोलिडेसन (एकीकरण) में उक्त रकबा वर्तमान चक 12 एन.टी.आर. के के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 1 की 0-12 तथा कि.नं. 9-10 की 2-00 बीघा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 05 की 0-11 बिस्वा व कि.नं. 06 की 1-00 बीघा कुल 1-11 बीघा कुल 4-03बीघा भूमि तहसील नोहर में दर्ज हो गई है।जिसमें प्रार्थी के मामा के द्वारा मोतीराम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार साकिन जिगासरी छोटी तहसील भादरा ने उक्त भूमि को जरीये बैयनामा तिथि 22.10.1963 को खरीद लिया था जिसका नियमन राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13ए के तहत श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ. के आदेश कमांक वाचक/एडीएम/88/ 1589 - 90 दिनांक 28.03.93 से शमन फिस 6225/-रूपये जमा करवाने उक्त भूमि का नियमन कर दिया

अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

गया था जिस पर जमाबन्दी में प्रार्थी के मामा के नाम उक्त भूमि पटवार रिर्कोड मे दर्ज हो गई थी जिसका तहसील कार्यालय नोहर में चक 12 एनटीआर के सैल पजिंका में नही है को भाखडा परियोजना की आरक्षित दर में तथा तथा 395/427 के कि.नं. 2,3,4,5,8 को श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश कमांक 5027 दिनांक 07.09.1969 को जरीये स्माल पेच आवंटन प्रति बीधा 1200/–रूपये मे आवंटित हुई थी, वर्तमान में वसीयतनामा निष्पादित करवा कर उक्त भूमि प्रार्थी के नाम विरास्तान दर्ज हो चुकी है। जिसका खाता सैल पजिंका में नही है परन्तु पटवार लेखों में भूमि दर्ज है को सैल रजिस्टर में खाता खोलने व नियमानुसार राशि जमा के आदेश प्रदान की कृपा करे।

अतः महोदय निवेदन है की प्रार्थी की चक 9 एन.टी.आर तहसील भादरा में आदू वल्द रामजस जाति जाट साकिन निठराना को श्रीमान डी.सी. साहब के द्वारा मि.नं. 1600 दिनांक 31.08.1957 को प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 11–12 की 2–00 बीधा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 14 व 15 की 2–00 बीधा कुल 4–00 बीधा भूमि आवंटन थी जिसकी समस्त किश्त राशि जमा हो चुकी है जिसका खाता तहसील भादरा के सैल पजिंका में दर्ज है, जो एकीकरण में यह भूमि चक 12 एन.टी.आर. के के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 1 की 0–12 तथा कि.नं. 9–10 की 2–00 बीधा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 05 की 0–11 बिस्वा व कि.नं. 06 की 1–00 बीधा कुल 1–11 बीधा कुल 4–03बीधा में पैमुद की जाकर मोतीराम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार साकिन जिगासरी छोटी तहसील भादरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका तहसील भादरा के सैल रजिस्टर में खाता दर्ज है तहसील नोहर के क्षेत्राधिकार का होने के कारण उक्त भूमि का खाता तहसील नोहर के सैल रजिस्टर में खोला जाकर आगामी कार्यवाही की जानी उचित है तथा श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश कमांक 5027 दिनांक 07.09.1969 के द्वारा चक 12 एनटीआर के प.नं. 395/427 के कि.नं. 2,3,4,5,8 भूमि स्माल पेच आवंटन प्रति बीधा 1200/–रूपये मे आवंटित की गई थी जिसका खाता सैल रजिस्टर में नही है का सैल रजिस्टर में खाता खोला जा सकता है।

अतः चक 12 एन.टी.आर. के के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 1 की 0–12 तथा कि.नं. 9–10 की 2–00 बीधा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 05 की 0–11 बिस्वा व कि.नं. 06 की 1–00 बीधा कुल 1–11 बीधा कुल 4–03बीधा एवं चक 12 एनटीआर के प.नं. 395/427 के कि.नं. 2/0.101, 3/0.101,4/0.101 ,5/0.101 8/0.253 कुल 0.657हैक् भूमि का सैल रजिस्टर में खाता खोला जाना उचित है।

तहसीलदार नोहर का तथ्यात्मक प्रतिवेदन शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि आदुराम पुत्र रामजस को आवंटित की गई थी आवंटन होने के पश्चात तहसील भादरा के चक 9 एनटीआर के सैल रजिस्टर में खाता खोला जाकर नियमानुसार राशि जमा करवाई जा चुकी हे वाद भूमि एकीकरण में चक 9 एनटीआर के स्थान पर चक 12 एनटीआर में पैमुद की गई है जो वर्तमान में तहसील नोहर के क्षेत्राधिकार में है आदुराम उक्त भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज की थी का बेचान मोतीराम पुत्र रामूराम को किया गया था गैरखातेदारी भूमि का बेचान होने पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ से उक्त बैयनामा का नियमानुसार राशि जमा करवाई जाकर नियमन करवाया जा चुका है वाद भूमि मोतीराम की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है वादी ने समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है यदि वादी की और राजकीय राशि बकाया रहती हे तो वह वादी जमा करवाने के लिये तैयार है वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाद भूमि का वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन ही बहस है तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की जानी न्यायोचित है।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 9 एन.टी.आर तहसील भादरा में आदूराम वल्द रामजस जाति जाट साकिन निठराना को श्रीमान डी.सी. साहब के द्वारा मि.नं. 1600 दिनांक 31.08.1957 को प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 11–12 की 2–00 बीधा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 14 व 15 की 2–00 बीधा कुल 4–00 बीधा भूमि आवंटन की गई थी आवंटन आदेश के अनुसार तहसील भादरा के सैल पजिंका में खाता खोला जाकर आवटि ने नियमानुसार रशि जमा करवाई गई जो तहसील भादरा के सेल रजिस्टर की प्रति से प्रमाणित है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

रोही मौजा चक 9 एनटीआर तहसील भादरा की भूमि जो आदुराम पुत्र रामजस का आवंटित की गई थी कन्सोलिडेसन (एकीकरण) में चक 9 एनटीआर की उक्त भूमि को वर्तमान चक 12 एन. टी.आर. के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 1 की 0–12 तथा कि.नं. 9–10 की 2–00 बीधा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 05 की 0–11 बिस्वा व कि.नं. 06 की 1–00 बीधा कुल 1–11 बीधा कुल 4–03बीधा भूमि में पैमुद की गई जो तहसील नोहर के क्षेत्राधिकार में है तथा तहसील नोहर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है जो जमाबन्दी से प्रमाणित है।

आदुराम पुत्र रामजस जाति जाट ने रोही मौजा चक 12 एनटीआर में पैमुद हुई भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी के रूप में दर्ज थी को मोतीराम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार साकिन जिगासरी छोटी तहसील भादरा जरीये बैयनामा तिथि 22.10.1963 के बेचान कर दी गई ।

आदुराम पुत्र रामजस के द्वारा गैरखातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को मोतीराम पुत्र रामूराम को बेचान किया गया था जो अवैध बेचान की श्रेणी मे आने के कारण खरीददार मोतीराम वल्द रामूराम ने जरिये बैयनामा खरीद की गई . रोही मौजा चक 12 एनटीआर की कुल 4.03 बीधा भूमि का नियमन राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13ए के तहत श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ. ने अपने आदेश कमांक वाचक/एडीएम/88/ 1589 – 90 दिनांक 28.03.93 से शमन फिस 6225/–रूपये जमा करवाने पर मोतीराम वल्द रामूराम के द्वारा खरीद की गई भूमि का नियमन कर दिया गया था जो प्रस्तुत नियमन आदेश से प्रमाणित है।

मोतीराम पुत्र रामूराम ने अपने जीवनकाल में अपनी खरीदशुद्वा चक 12 एनटीआर की भूमि जिसका नियमन श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के द्वारा किया गया था की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई गई जिसके आधार पर वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी चक 12 एन.टी.आर. के के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 12 के कि.नं. 1 की 0–12 तथा कि.न. 9–10 की 2–00 बीधा व प.नं. 394/427 मु.नं. 18 के कि.नं. 05 की 0–11 बिस्वा व कि.न. 06 की 1–00 बीधा कुल 1–11 बीधा कुल 4–03बीधा एवं चक 12 एनटीआर के प.न. 395/427 के कि.नं. 2/0.101. 3/0.101,4/0.101 ,5/0.101 8/0.253 कुल 0.657हैक्ट भूमि का तहसील नोहर के सैल रजिस्टर में खाता खुलवा कर राजकीय राशि जमा करवाकर खातेदारी अधिकार चाहता है।

तहसीलदार नोहर के तथ्यात्मक प्रतिवेदन अनुसार रोही मौजा चक 9 एन.टी.आर तहसील भादरा में आदूराम वल्द रामजस जाति जाट साकिन निठराना को श्रीमान डी.सी. साहब के द्वारा मि.न. 1600 दिनांक 31.08.1957 को प.नं. 395/427 मु.न. 17 के कि.नं. 11–12 की 2–00 बीधा व प.न. 394/427 मु.न. 18 के कि.न. 14 व 15 की 2–00 बीधा कुल 4–00 बीधा भूमि आवंटित है जिसका सेल रजिस्टर तहसील भादरा में खाता भी खुला हुआ है आवटि के द्वारा राशि भी जमा करवाई हुई है जो कन्सोलिडेसन (एकीकरण) के उपरान्त रोही मौजा चक 12 एन.टी.आर. के खाता सं. 180 के प.न. 395/427 मु.न. 12 के कि.नं. 1/1 की 0.101 ,2/2 की 0.101, 3/2 की 0.101 ,4/2 की 0.101 ,5/2 की 0.101, 8/0.253, 9, 10/0.506हैक्ट व प.नं. 394/427 मु.नं. 13 के कि. न 5/1 की 0.025हैक्ट गै0मु0खाला . 5/2 की 0.0760हैक्ट , 5/3 की 0.0130हैक्ट गैर मुमकिन रास्ता . किला न0 6/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0रास्ता ,6/2 की 0.2280हैक्ट कुल 1.6310हैक्ट में पैमुद है जिसका गेरखातेदारी के रूप में बेचान होने पर खरीददार मोतीराम वल्द रामूराम ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ. ने नियमानुसार नियमन भी करवाया गया है नियमन करवाने के बाद वाद भूमि वसीयत के अनुसार वादी के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज हुई है।

वादी के नाम दर्ज उक्त गैरखातेदारी भूमि का तहसील भादरा के स्थान पर तहसील नोहर मे खाता खोला जाना है राज्यहको के मध्यनजर हम तहसीलदार नोहर के प्रतिवेदन से सहमत है कि उक्त भूमि जो एकीकरण उपरान्त तहसील नोहर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है जिसका पूर्व मे तहसील भादरा के सैल रजिस्टर में खाता खूला हुआ है तथा प्रार्थी/वादी के पूर्वजों के द्वारा जमा करवाई राशि का भी समायोजन किया जाकर तहसील नोहर में खाता खुलवाया / खोला उचित प्रतीत होता है।

इसप्रकार प्रार्थी के पूर्वजो को आवंटित की गई भूमि जो पूर्व में तहसील भादरा के चक 9 एनटीआर में स्थित थी जो कन्सोलिडेसन (एकीकरण) के उपरान्त चक 12 एनटीआर में पैमुद की गई थी जो नोहर तहसील के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है

उपरोक्त विवेचन से पूर्णत्या साबित है कि आदुराम पुत्र रामजस को रोही मौजा चक 9 एनटीआर मे भूमि आवंटित की गई थी जिसकी राशि तहसील भादरा में जमा करवाई गई है कन्सोलिडेसन (एकीकरण) मे उक्त भूमि रोही मौजा चक 12 एनटीआर में पैमुद की गई जिसका

अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

गैरखातेदारी के रूप में बेचान करने पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ ने बैयनामा का नियमन किया गया था तथा खरीददार की वसीयत के अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में बतौर गेरखातेदार दर्ज है।

तहसीलदार नोहर के प्रतिवेदन अनुसार वादी को आवंटित भूमि का तहसीलदार भादरा के सैल रजिस्टर के अनुसार ही तहसील नोहर के सैल रजिस्टर में खाता खोले जाने आदेश पारित किये जाने न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहको के मध्यनजर तहसीलदार नोहर के प्रतिवेदन अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी तहसीलदार नोहर के प्रतिवेदन अनुसार डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एन.टी.आर. के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 12 के कि.नं. 1/1 की 0.101 ,2/2 की 0.101, 3/2 की 0.101 ,4/2 की 0.101 ,5/2 की 0.101, 8/0.253, 9, 10/0.506हैक व प.नं. 394/427 मु.नं. 13 के कि.नं. 5/1 की 0.025हैक गै0मु0खाला , 5/2 की 0.0760हैक , 5/3 की 0.0130हैक गैर मुमकिन रास्ता , किला न0 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता ,6/2 की 0.2280हैक कुल 1.6310हैक नहरी भूमि को तहसील भादरा के सैल रजिस्टर के अनुसार तहसील नोहर के सैल रजिस्टर में निमयानुसार खाला जाने की कार्यवाही की जावे आवंटित भूमि की किसी प्रकार की राशि बकाया है तो आवटि ने नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही नियमानुसार की जानी सुनिश्चित करे। इसी आश्य पर्चा डिक्री एव आदेश तहसीलदार नोहर को लिखा जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. चेतराम पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 376 सन 2022 निर्णय दिनांक– 29/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी तहसीलदार नोहर के प्रतिवेदन अनुसार डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एन.टी.आर. के खाता सं. 180 के प.नं. 395/427 मु.न. 12 के कि. नं. 1/1 की 0.101 ,2/2 की 0.101, 3/2 की 0.101 ,4/2 की 0.101 ,5/2 की 0.101, 8/0.253, 9, 10/0.506हैक व प.नं. 394/427 मु.नं. 13 के कि.नं. 5/1 की 0.025हैक गै0मु0खाला , 5/2 की 0.0760हैक , 5/3 की 0.0130हैक गैर मुमकिन रास्ता , किला न0 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता ,6/2 की 0.2280हैक कुल 1.6310हैक नहरी भूमि को तहसील भादरा के सैल रजिस्टर के अनुसार तहसील नोहर के सैल रजिस्टर में निमयानुसार खाला जाने की कार्यवाही की जावे आवंटित भूमि की किसी प्रकार की राशि बकाया है तो आवटि ने नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही नियमानुसार की जानी सुनिश्चित करे। इसी आश्य पर्चा डिक्री एव आदेश तहसीलदार नोहर को लिखा जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)